International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(IV), January - March, 2024, pp. 121-124

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसाः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ अखिलेश कुमार*

सार

हमारे देश में नारी को शक्ति श्रद्धा एवं आदर के भाव से देखा जाता है। वैदिक काल में चाहे महिलाओं की प्रस्थिति बुलंदियों पर थी लेकिन यहां महिलाएं लंबे समय तक यातना शोषण एवं अवमानना की शिकार भी रही है। आधुनिक युग में उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के फलस्वरुप बढ़ती स्वच्छंदता ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराधों को आमंत्रित किया है। महिलाओं की स्थिति सभी समाजों में समान नहीं रही है। आदिम समाज से लेकर वर्तमान उत्तर आधुनिक समाज में भी महिला पुरुष असमानता, भेदभाव एवं महिला शोषण होता रहा है। महिला द्वारा अधीनता की मौन स्वीकृति भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारक है। महिलाओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से किया गया अशोभनीय व्यवहार घरेलू हिंसा है। आज वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में नारी की मुश्किलें बढ़ते मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा, कम वेतन, परंपरागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्तें, उनके समक्ष हमारे कानून की असमर्थता, बढ़ता भ्रष्टाचार आदि परिस्थितियों महिलाओं को न्याय दिलाने में असमर्थ है।

शब्दकोशः *महिला, घरेलू हिंसा, भेदभाव, असमानता।*

प्रस्तावना

नारी समाज में संस्कृति की पोषिका और वाहिका है। नारी के स्वभाव में स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुण विद्यमान होते हैं। नारी में वह शक्ति है जो प्राचीन काल से ही इन सामाजिक दायित्वों को निभा रही है। नारी की स्थिति सभी समाजों में समान नहीं रही है। प्राचीन समाज से लेकर वर्तमान उत्तर आधुनिक समाज में भी महिला असमानता एवं महिला शोषण को देखा जा सकता है। नारी जिस प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है वह हमारी मानसिक कुरूपता और विसंगतियों का प्रतीक है। महिलाओं पर होने वाला अत्याचार और हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति सही थी पर उसके बाद के काल उत्तर वैदिक काल से वर्तमान उत्तर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं का शोषण देखा जा सकता है और मध्यकाल तक आते–आते महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि प्रथाओं ने महिलाओं के शोषण को बढ़ावा दिया है। वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। वर्तमान समय में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बलात्कार, लैंगिक असमानता आदि हो रहे हैं।

घरेलू हिंसा का अर्थ

एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार या एकल परिवार के पारिवारिक सदस्य जो रह रहे हैं या रह चुके महिला एवं बच्चे जो 18 वर्ष या उनमें कम उम्र के हो किसी भी महिला का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न या शोषण करना, क्षति पहुंचाना, जबरदस्ती, अपमान करना, आरोप लगाना, मारपीट करना, दबाव बनाना आदि महिला हिंसा की श्रेणी में आता है।

---

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र), सेठ नेमटी राजकीय महिला महाविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है – प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य या लोप अथवा आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर मन को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार अधिनियम में पांच प्रकार के दुर्व्यवहारों का उल्लेख किया गया है–

- शारीरिक दुर्व्यवहार
- यौन दुर्व्यवहार
- मौखिक दुर्व्यवहार
- भावात्मक दुर्व्यवहार
- आर्थिक दुर्व्यवहार

घरेलू हिंसा के कारण

- भारत में पितृसत्तात्मकता को अधिक महत्व देने के कारण लड़कियों को कमजोर एवं लड़कों को साहसी माना जाता है जिसके कारण लड़कियों में आत्मविश्वास विकसित नहीं हो पाता है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कई कारण है।
- भारत के पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को अक्सर घर के मुखिया के रूप में देखा जाता है जो पुरुषों को महिलाओं पर अधिक प्रभाव और नियंत्रण देता है। शक्ति के इस असंतुलन के कारण पुरुषों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें अपने जीवनसाथी पर हावी होने और शासन करने का अधिकार है जिसके परिणाम स्वरुप घरेलू हिंसा होती है।
- लोगों की यह मानसिकता होती है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होती है जिससे वे महिलाओं के साथ हिंसात्मक भरे कार्यों को करने लगते हैं।
- प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, साथी को बिना बताए बाहर जाना आदि कार्यों से घरेलू हिंसा होती है।
- विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, बहु द्वारा लड़के की जगह लड़की को जन्म देना, महिलाओं में बांझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण है।
- शराब की लत के कारण भी घरेलू हिंसा होती है।
- पति एवं पत्नी में आपसी समझ के अभाव के कारण भी घरेलू हिंसा होती है।

घरेलू हिंसा के प्रकार

- **शारीरिक हिंसा** – इस हिंसा में मारपीट करना, लात मारना, थप्पड़ देना या अन्य रीति से शारीरिक हिंसा करना।
- **लैंगिक हिंसा** – जैसे बलात् लैगिक हिंसा, अश्लील साहित्य को देखने को विवश करना, लैंगिक मैथुन आदि।
- **मौखिक हिंसा** – अपमान करना, गालियाँ देना, विवाह के लिए विवश करना, पुरुष सन्तान न होना, नौकरी छोडने के लिए विवश करना।
- **आर्थिक हिंसा** – महिला तथा अपने बच्चे को अपनी देखभाल के लिए बन न देना, महिलाओं को अपना रोजगार न करने देना, वेतन आदि ले लेना।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

महिलाओं के प्रति हिंसा भारतीय समाज के लिए नई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज की महिलाएं प्राचीन समाज से ही अवमानना, यातना और शोषण को सहन कर रही है। भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के समाजों में विद्यमान है। घरेलू हिंसा से भारतीय समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के लिए प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मूल उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ इस अधिनियम में पांच अध्याय एवं 37 धाराएं हैं। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है जो पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा का शिकार है। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा एवं दुर्व्यवहार को शामिल किए गए हैं। यह अधिनियम महिलाओं को उसके वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में कानून के तहत विशिष्ट प्रावधानों के साथ एक ऐसी सुविधा है जो एक महिला को षहिंसा मुक्त घर में रहनेष के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इस अधिनियम में नागरिक और आपराधिक प्रावधान है, पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल नागरिक उपचार प्राप्त कर सकती है। पीड़ित महिला इस अधिनियम के तहत किसी भी वयस्क पुरुष अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है, जो उसके साथ घरेलू संबंध में है।

सुझाव

- घरेलू हिंसा से निपटने के लिए महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जब तक वह परिवार और समाज की जागरूक नागरिक बनने की कोशिश नहीं करती अपने ऊपर होने वाली हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ नहीं उड़ाती तब तक वह घरेलू हिंसा से खुद को नहीं बचा सकती है।
- घरेलू हिंसा रोकने के लिए सामाजिक जागरुकता जरूरी है। इसके लिए जहां भी स्कूल कॉलेज है वहां घरेलू हिंसा, घर में भेदभाव आदि विषयों पर व्यवस्थित संवाद होने चाहिए। इस स्तर पर लड़के लड़कियों की सोच बदलने का प्रयास होना चाहिए।
- लड़कियों को हर हाल में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए जन जागरूकता लेख प्रकाशित किए जाने चाहिए इसके साथ ही महिलाओं के लिए कानूनों को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा को सामुदायिक स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए और मामला बहुत गंभीर होने पर ही अदालत या पुलिस के पास जाना चाहिए।
- पुलिस प्रशासन में भी महिलाओं की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए।
- महिला हिंसा से संबंधित मामलों का निपटारा तुरंत किया जाना चाहिए इस हेतु विशेष अदालतों की स्थापना की जरूरत है।
- निशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने वाली संस्था का विस्तार और प्रचार जरूरी है। महिलाओं को विशेष कानूनी सहायता सेल स्थापित किया जाए।
- निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- समग्र दृष्टिकोण अपना कर समन्वित प्रयासों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

महिला की स्थिति किसी भी समाज के विकास का मुख्य मापदंड है। महिला समाज की मुख्य धुरी है। लेकिन अधिकांश नारी समाज असमानता एवं पिछड़ेपन का शिकार है। महिलाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर होने वाले भेदभाव, शोषण और अन्याय ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को अत्यंत सोचनीय बना दिया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा व अपराध भारतीय समाज के लिए एक चुनौती बनकर उभर रही है। महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या आदि अपराधों

ने मानव समाज की चिंताएं बढ़ा दी है। इसका मुख्य कारण कानून का कम असरदार होना, जन जागरूकता की कमी, गलत परंपराएं व सामाजिक रीति रिवाज, महिलाओं द्वारा विरोध न करना, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता आदि हैं। घरेलू हिंसा के निदान के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा तथा महिलाओं को शिक्षित कर कानून के प्रति जागरूक करना होगा। इसके अलावा समाज लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा। अतः हमारे इन्हीं प्रयासों के द्वारा महिलाओं की प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को कम किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओझा, सुरेश 'नारी सशक्तिकरण' पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2004
2. सिंह, निशांत 'महिला विधि' राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2008
3. श्रीवास्तव, सुधारानी 'महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार' अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली 2009
4. सिंह, निशांत 'अपराध बना महिलाएं' खुशी प्रकाशन दिल्ली 2011
5. ममता श्घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति जागरूकताश प्रो आभा एवं आहूजा प्रकाशन दिल्ली 2010
6. शर्मा, जी. एल. 'सामाजिक मुद्दे' रावत पब्लिकेशन जयपुर 2015
7. आहूजा, राम श्सामाजिक समस्याएंश रावत पब्लिकेशन जयपुर 2016
8. https://www.indiacode.nic.in.

❖◆❖